(55)

343
3.7.14

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा

(म0प्र0)

Rs-20/-

R-2214-III/14

1. श्री सियाशरण मिश्र तनय स्व. फणीन्द्रमणि मिश्र, उम्र 70 वर्ष
2. श्री अनिरूद्ध प्रसाद मिश्र, तनय स्व. फणीन्द्रमणि मिश्र उम्र 65 वर्ष
3. श्री रंगनाथ तनय श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्र, उम्र 45 वर्ष,
4. सभाजीत मिश्र तनय श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्र, उम्र 35 वर्ष,
5. श्रीनिवास मिश्र तनय श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्र, उम्र 32 वर्ष,
6. मनीष कुमार तनय श्री मुनिमहेश मिश्र, उम्र 28 वर्ष,
7. बैकुण्ठ प्रसाद मिश्र तनय स्व. श्री कौशल प्रसाद, उम्र 58 वर्ष,
8. जगतकिशोर मिश्र तनय स्व. श्री रामानुज मिश्र, उम्र 80 वर्ष,
9. शिवप्रसाद मिश्र तनय स्व. श्री रामानुज मिश्र, उम्र 75 वर्ष,
10. शिवमूर्ति मिश्र तनय स्व. श्री रामानुज मिश्र, उम्र 72 वर्ष,

सभी का पेशा खेती, निवासीगण ग्राम–मदरावल, थाना–मऊगंज, तहसील–हनुमना. जिला–रीवा (म0प्र0)

श्री दिनेश कुमार पाठक एड. द्वारा आज दिनांक 03.07.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

––––आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

बनाम्

बैशाखू तनय जगदेव कोल, उम्र 58 वर्ष, पेशा खेती, निवासी-- ग्राम– मदरावल, थाना–मऊगंज, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा (म0प्र0)

––––––अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ता

21.7.14

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश तहसील–हनुमना जिला–रीवा (म0प्र0) जरिये प्रकरण क्र0 9अ–6–अ / 2012–13 आदेश दिनांक 04.06.2014.

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है :–

बैकु. प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2214–तीन/2014 जिला रीवा

सियाशरण आदि विरूद्ध बैशाखू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–7–2015	आवेदक एवं अनावेदक अभिभाषक ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार गया। 2/ आवेदक द्वारा तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार हनुमना के समक्ष नक्शा सुधार का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा आवेदक ने रकवा सुधार का आवेदन प्रस्तुत किया। इसी बीच अनावेदक द्वारा नक्शा संशोधन का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका जबाव आवेदक अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया और आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 में तर्क हुआ तथा तहसीलदार ने संशोधन के संबंध में कोई उल्लेख न कर अनावेदक के पक्ष भू–खण्ड के नक्शे में 81/1 चिन्हित करने का आदेश पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है। 3/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा रकबा सुधार का आदेश दिया है जिसकी अपील की जानी चाहिए थी, अतः निगरानी निरस्त की जाये। 4/ तर्कों पर विचार किया। आवेदकों ने यह निगरानी तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 9/अ–6–अ/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 04–6–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। तहसील न्यायालय का आदेश अंतिम स्वरूप का होने से अपील योग्य है। अतः निगरानी ग्राह्य किया जाना विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। आवेदक यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	

श्री
द्वा
प्रस्